R.G.-39

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 830205

Achary Baldev College

न्यास विलेख (Insrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 18/12/2012 को अनिल कुमार यादव पुत्र श्री रामकरन यादव निवासी ग्राम–कोपा, पो0– पतरही, ब्लाक–डोभी, तहसील व परगनी–केराकत,जिला–जौनपुर द्वारा घोषित किया गया है।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जाएगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रु0 5000/ (पांच हजार रु0 मात्र) की राशि है। जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे प्राविधिक, उच्च चिकित्सा व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रुप से कार्य करेगा। जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनो को बढायें ताकि ट्रस्ट अपने

क्रमशः ...2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यदत्त निगम
उपकोषाधिकारी कोषागार
जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 829667

उद्देश्यों में प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000 (पांच हजार रु0 मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्यों कि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–कोपा, पो0–पतरही, ब्लाक–डोभी, तहसील व परगना–केराकत, जिला–जौनपुर उ0प्र0 में रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

आचार्य बलदेव कालेज (इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अर्न्तगत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्यों एवं नियमावली :–

1. ट्रस्ट के उद्देश्य– ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1. बिना लिंगभेद किये हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जू0हा0 स्कूल, इण्टरमिडिएट कालेज , बी0एड0 कालेज, बी0टी0सी0 कालेज, महाविद्यालय ,पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रो, सर्वेक्षण केन्द्रो, पर्यावरण , एड्स उत्थान केन्द्रो की स्थापना नाकरण, विकास सम्बद्व आबद्ध , प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों , शासन आदि से उन्हे सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृति कराना।

क्रमशः ...3

अनिल कुमार

4996 15/12/12 100/-

SENIOR TREASURY OFFICER
16 NOV 2012
JAUNPUR

न्यास पत्र

5,000.00	100.00	20	120.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री अनिल कुमार
पुत्र श्री रामकरन यादव
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी कोपा पो0पतरही तह0 केराकत जौनपुर
अस्थायी पता उपरोक्त
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/12/2012 समय 3:59PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
सुनीलदत्त पाण्डेय
उपनिबन्धक केराकत
जौनपुर
16/12/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री अनिल कुमार
पुत्र श्री रामकरन यादव
पेशा कृषि
निवासी कोपा पो0पतरही तह0 केराकत जौनपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री दयाशंकर
पुत्र श्री राजदेव सिंह
पेशा कृषि
निवासी कनौरा केराकत जौनपुर
व श्री रमाकान्त पाण्डेय
पुत्र श्री त्रिवेणी पाण्डे
पेशा कृषि
निवासी लालगंज आजमगढ़
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।
पेन कार्ड

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
सुनीलदत्त पाण्डेय
उपनिबन्धक केराकत
जौनपुर
16/12/2012

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 829666

(3)

2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रमोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलादि का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. किसी भी सामान (तरल एवं ठोस) की खरीद एवं बिक्री करना।
10. पत्थर के खनन का कार्य कराकर भूमि को उपजाऊ योग्य बनाना।
11. ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग करना एवं लोगो को बीमा से लाभान्वित करना।
12. उपहार के वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय कार्य कराना।
13. कबाड़ा की सामानो को इकठ्ठा करके फर्नीस भठ्ठियां का निर्माण करके उनको गलाकर वातावरण को दूषित होने से बचाना , र्प्यावरण की सुरक्षा करना ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य है।

क्रमशः 4

अनिल कुमार

SENIOR TREASURY OFFICER
16 NOV 2012
JAUNPUR

न्यासी

Registration No.: 39 Year: 2,012 Book No.: 4

0101 अनिल कुमार

रामकरन यादव

कोथा पो०बारडीह तह० केराकत जौनपुर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निगम
उपरोकड़िया कोषागार
जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (4) **BB 829665**

14. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण , नाबार्ड, कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ,सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरु युवा केन्द्र खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय , ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यो का संचालन करना ।
15. आई०टी०आई०, आई०आई०टी०, पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग, प्रबन्धन, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग नर्सिंग कालेज, मेडिकल कालेज, एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, आपरेटर टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन , फीजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
16. समाज के लोगों के लिए हास्टल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र , मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान ,फोटो स्टेट ,टाइपिंग , कपनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।
17. पुस्तकालय , वाचनालय , पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
18. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगो के लिए शिक्षा ,चिकित्सा ,आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना व विद्यालय संचालित करना व उनके पुर्नवास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।
19. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक , वैज्ञानिक , क्रीडा , मार्शल आर्ट,संगीत, तकनीकी ,सामाजिक, आधुनिक भाषा ,उर्दू ,अंग्रेजी , कम्पूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्धन करना।
20. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्धन करना।
21. साहित्यिक पुस्तकों ,पत्रों, पाठ्यक्रमों, आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कार्य कर सकना।
22. सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगितायें बैठकों ,विशेष कक्षायें, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।
23. भण्डार गृहों का निर्माण कर अनाजों ,फसों का भण्डारण करना तथा उनका क्रय विक्रय करना।
24. शीत गृहों का निर्माण कर किसानों के फल,सब्जी, आलू, प्याज की सुरक्षा प्रदान करना।
25. किसानों को खसरा,खतौनी इन्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना।
26. बैंकिंग का कार्य कराना, लोगो का पैसा जमा कराकर उनको अच्छा रिर्टन देना, उनके पैसों को सुरक्षा प्रदान करना, समय-समय पर गृह ऋण, कृषि कार्य हेतु ऋण, मोटर गाड़ी हेतु ऋण एवं रोजगार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
27. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
28. व्यक्ति विशेष , अन्य सोसायटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजिनियरिंग कालेज, आई०टी०आई० कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]664

[illegible] विभिन्न राष्ट्रीय ,अर्न्तराष्ट्रीयसंगठनो संस्थानों तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

30. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

31. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।

32. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना।

33. एड्स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना।

34. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।

35. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बन्धिक आवश्यक व्यवस्थाए कर सकना।

36. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्वो के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

37. डाक्टर, इंजिनियर, कारपेन्टर, सॅन्ट्रिग कारपेन्टर ,मेशन, बढ़ई, नाई ,मोची, कूकर, ड्राईवर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य कराना, जिससे उनको रोजगार मिल सके एवं देश का विकास हो सके।

38. कुटिर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगो को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके।

39. किसानो का उन्नतशील बीजों, कीटनाशक दवाओं तथा नये-नये औजारो को सस्ते दरो में उपलब्ध कराना।

40. समय-समय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन कर उनको जागरुप करना।

41. किसानो को रासयनिक खादों (डाई, यूरिया, पोटाश, जिंक फास्फेट, कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट खाद) इत्यादि को समय-समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित करना।

42. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।

43. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एव क्रियान्वयन कर सकना।

44. विभिन्न आयोजनाओं एवं कारणो हेतु छात्रवृति, पुरस्कार सहायता एवं वितिय सहायक स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

45. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी उत्पादित वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन तथा मधुमक्खी पालन आदि प्रचार प्रसार करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सत्यव्रत निगम
उपकोषागार मछलीशहर
जौनपुर

(8)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 828791

विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजिनियरिंग कालेजों के विशेषाधिकार

46. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजिनियरिंग कालेजों के विशेषाधिकार प्रदान करना एवं संचालित करना।
प्रदान करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना एवं संचालित करना।

2. <u>प्रारम्भिक उपबन्ध</u> :–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से अनिल कुमार यादव पुत्र श्री रामकरन यादव को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष अनिल कुमार यादव द्वारा रजिस्टार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न किया जाये तो परिस्थता क्रम में उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।

3– **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का <u>उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण</u> :–**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हो।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्टार के यहां रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल में उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारें सहित पूर्ण माना जायेगा।

4– <u>**बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज**</u>

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 21 सदस्य होगें।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल नष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्ष ट्रस्टी स्वयं करेगा।

अनिल कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7) BB 828790

4 यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5 यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक द्वारा निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5– <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधायें</u> :–

1. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक/मानदेय भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।

6– <u>कार्यक्षेत्र</u> :–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

7– <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार</u> :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्य कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रुप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

8– <u>उपाध्यक्ष की नियुक्ति</u> :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दि प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट एक उपाध्यक्ष एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव के वेतन भत्ते सुविधाये कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जाएगें।
3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9– <u>सचिव की नियुक्ति</u> :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(8)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 582188

यह कि उक्त ... सुविधायें, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये जायें।
यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह एवं प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे।
मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा पदो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

10– अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कार्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होगें।

1 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2 इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यो एवं नियमावली मे संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।
3 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारे कार्यों की देख–रेख उपाध्यक्ष करेगा आवश्यक विस्तार के लिए अध्यक्ष और भी सचिव और उपसचिव नियुक्त कर सकता है।

11– बैंक एकाउन्ट :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय,संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति
द्वारा दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

12 विधिक कार्यवाही

यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जा सकती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

13– सम्पत्ति सम्बन्धी

1. ट्रस्ट चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जोकि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, अनुदान भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय प्राप्त कर सकता है अथवा देख सकता है।
4. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना के धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
5. चल एवं अचल सम्पत्तियों के विक्रय के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव में से दो लोगो का हस्ताक्षर एवं फोटो रहना जरूरी है।
6. वर्तमान में ट्रस्ट के पास 5000/– (पांच हजार रू0) की पूंजी है।

14– विशेष :–

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव तीनों मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते है जो कि सर्वमान्य होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए गए है। उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है।

साक्षीगण–

1. नाम– [illegible]

   पता– [illegible]

2. नाम– [illegible]

   पता– [illegible]

(अनिल कुमार यादव)
ट्रस्टी / अध्यक्ष
आचार्य बलदेव कालेज

दिनांक–

आज दिनांक **18/12/2012** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **12**

पृष्ठ सं. **14** से **31** पर क्रमांक **39**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनीलदत्त पाण्डेय

उपनिबन्धक केराकत

जौनपुर

18/12/2012